वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
अनुसंधान भवन, 2 रफी मार्ग, नई दिल्ली – 110001
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi - 110001

सा०/No. : 5-1(49)/2008-PD

दिनांक/Dated: 25.11.2021

प्रेषक / From : संयुक्त सचिव (प्रशासन)
Joint Secretary (Admn.)

सेवा में / To : सी.एस.आई.आर. की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/मुख्यालय/एककों के निदेशक/प्रधान
The Directors/Heads of all CSIR National Labs./Instts./Hqrs./Units

महोदय/Sir / महोदया/Madam,

मुझे भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निम्नलिखित कार्यालय ज्ञापन को आपकी जानकारी, मार्गदर्शन और अनुपालन के लिए अग्रेषित करने का निदेश हुआ है:

I am directed to forward herewith the following Office Memorandum issued by the Government of India for your information, guidance and compliance:

क्रम सं. Sl. No.	कार्यालय ज्ञापन सं/ . Office Memorandum No.	विषय/ Subject
1.	भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग का कार्यालय ज्ञापन सं० 1/7/2020-पी&पीडबल्यू (एफ) दिनांक 30.09.2021 Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Pension and Pensioners' Welfare Office Memorandum No. 1/7/2020-P&PW (F) dated 30.09.2021	केंद्रीय सरकार के ऐसे सरकारी कर्मचारी, जिनकी सदाशयपूर्वक अपने सरकारी कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए मृत्यु हुई हो, के कुटुंब को एकमुश्त अनुग्रह क्षतिपूर्ति की रकम के संदाय के लिए नामनिर्देशन के संबंध में। Payment of amount of Ex-Gratia lump sum compensation to the families of Central Government servants who die in the performance of bona fide official duty-Provision for nominations regarding.

भवदीय/Yours faithfully,

25 Nov 2021

(एम. अरुण मणिकण्ड भारति/ M. Arun Manikanda Bharathi)
अवर सचिव (नीति प्रभाग)/US (PD)

संलग्न/Encl. : यथोपरि/As above
प्रतिलिपि/Copy to:

1) आई.टी. प्रभाग प्रमुख वेबसाइट और पॉलिसी रिपॉजिटरी पर इस परिपत्र को उपलब्ध कराने के अनुरोध के साथ/
Head, IT Division with the request to make this circular letter available on the website & Policy Repository.

2) कार्यालय प्रति/Office copy.

Phone: EPABX-23710138, 23710144, 23710158, 23710468, 23710805, 23711251, 23714238, 23714249, 23714769, 23715303
Fax: 91-11-23714788, Gram: CONSEARCH, NEW DELHI, E-mail: jsa@csir.res.in

F.No. 1/7/2020 -P&PW (F)
Government of India
Ministry of Personnel Public Grievances and Pensions
Department of Pension and Pensioners Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi-110003
Dated 30th September, 2021

Office Memorandum

Subject: Payment of amount of Ex-Gratia lump sum compensation to the families of Central Government servants who die in the performance of bona fide official duty- Provision for nominations regarding.

The undersigned is directed to say that the families of Central Civil Government servants, who die in harness in the performance of their bona fide official duties under various circumstances, are entitled to payment of ex-gratia lump sum compensation in accordance with this Department's OM No. 45/55/97-P&PW(C) dated 11th September, 1998. The amount of ex-gratia lump sum compensation has been revised from time to time. The existing rates of ex-gratia lump sum payment are specified in this Department's OM No. 38/37/2016-P&PW (A) dated 04.08.2016.

2. The existing instruction, however, do not specify the member of the family to whom such ex-gratia lump sum compensation is payable in the event of death of the Government servant in the performance of bona fide duty. Therefore, in terms of para 13 of the guiding principles mentioned in the Annexure to the OM No. 45/55/97-P&PW(C) dated 11th September 1998, payment of ex-Gratia lump sum compensation is presently being made to the member of the family who is eligible for extraordinary family pension under the CCS (Extraordinary Pension) Rules, 1939.

3. The matter has been examined in consultation with Ministry of Finance (Department of Expenditure). On death of a Government servant, payment of other lump sum amounts, such as death gratuity, GPF balance and CGEGIS amount, is made in accordance with the nominations made by the Government servant during service. Accordingly, it has been decided that, on death of a Government servant in the performance of bona fide duty also, payment of ex-gratia lump sum compensation may be made to a member or members of the family in whose favour a nomination is made by the Government servant during service. Family for this purpose shall have the same meaning as in the case of gratuity and it shall include the members of family as mentioned in sub-rule (6) of Rule 50 of the CCS (Pension) Rules, 1972.

4. The Common Nomination Form in Form 1 appended to the CCS (Pension) Rules, 1972 has been amended to include the nomination in respect of the ex-gratia lump sum payment and the same is enclosed. Accordingly, nomination in respect of ex-gratia lump sum payment shall also be made in this Common Nomination Form. The nomination for ex-gratia lump sum payment shall be subject to the provisions as applicable in the case of gratuity under Rule 53 of the CCS (Pension) Rules, 1972. Since the ex-gratia lump sum payment is payable to the family only, no nomination shall be made in favour of a person who is not a member of the family, even where the Government servant has no family. If no nomination has been made or the nomination made by the Government servant does not subsist, the ex-gratia lump sum compensation will be shared equally by all eligible family members, as in the case of Gratuity, in accordance with Rule 51 of the CCS (Pension) Rules.

Contd...

5. These instructions shall be applicable in the case of death of a Government servant on or after the date of issue of this OM. Cases of payment of ex-gratia lump sum compensation on death of Government servants before the date of issue of this OM shall continue to be dealt with in accordance with the instructions applicable before the issue of this OM

6. This OM is issued with the concurrence of Ministry of Finance, Department of Expenditure vide their ID Note No. 27(1)/E-V/2020, dated 22.07.2021.

7. In its application to persons belonging to Indian Audit and Accounts Department, these orders are issued under Article 148(5) of the Constitution and after consultation with the Comptroller and Auditor General of India vide their U.O. No. 211-Staff -Hak (Rule)-A.R/09-2019 dated 13.09.2021.

8. The Administrative Divisions of all Ministries/Departments and attached/subordinate offices are requested to bring the contents of these instructions to the notice of all concerned for compliance.

9. Formal amendment to CCS (Pension) Rules, 1972 for amending Form 1 appended to those rules shall be notified separately.

10. Hindi version will follow.

(Sanjoy Shankar)
Deputy Secretary to the Govt. of India

To

1. All Ministries/Departments of the Government of India
2. President's Secretariat
3. Vice President's Secretariat
4. Prime Minister's Office
5. Comptroller & Auditor General of India
6. Cabinet Secretariat
7. Union Public Service Commission
8. NIC for uploading in the Website

FORM 1

Common Nomination Form for Gratuity, General Provident Fund, Central Government Employees' Group Insurance Scheme and Ex-gratia Lump Sum Compensation.

[See Rule 53 of CCS (Pension) Rules, 1972, Rule 5 of General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960,Para 19.7 of Central Government Employees' Group Insurance Scheme, 1980 and OM No. 38/37/2016-P&PW (A) dated 04.08.2016]

I, ..., hereby nominate the person/persons mentioned below and confer on him/her/them the right to receive in the event of my death, to the extent specified below, amount on account of the following:

i. any gratuity the payment of which may be authorised under rule 50 of CCS (Pension) Rules
ii. amount that may stand to my credit in the General Provident Fund
iii. any amount that may be sanctioned by the Central Government under the Central Government Employees Group Insurance Scheme, 1980
iv. Ex-gratia Lump sum compensation that may be authorised under OM No. 45/55/97-P&PW(C) dated 11th September, 1998 as amended from time to time.

Name, date of birth (DOB) and address of the nominee	Relation-ship with employee/ pensioner	Share to be paid to each	If nominee is minor, name, DOB and address of person who may receive the amount on behalf of minor	Name, DOB, relationship and address of alternate nominee in case the nominee under Column (1) predeceases the employee/ pensioner	Share to be paid to each	Name, DOB and address of person who may receive the amount if alternate nominee in Col. (5) is a minor	Contingency on happening of which nomination shall become invalid
1	2	3	4	5	6	7	8

These nominations supersede any nominations made by me earlier.

Place and date:

Signature of Government servant

Telephone No.............

Note 1: Completely strike out the benefits for which nomination is not intended to be made. Separate copies of this nomination Form may be used for nominating different persons for benefits (i), (ii), (iii) and (iv) above

Note 2: The Government servant shall draw lines across the blank space below the last entry to prevent the insertion of any name after he/she has signed. The nominee(s)/alternate nominee(s)' shares together should cover the whole amount.

(To be filled in by the Head of office/authorised Gazetted Officer)

Received the nominations, dated................................. under the following Rules/ Instructions:—

1. Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 for Gratuity
2. General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960
3. Central Government employees Group Insurance Scheme, 1980
4. OM No. 45/55/97-P&PW(C) dated 11th September, 1998

Made by Shri/Smt./Kumari...................................

Designation..

Office..

(Strike out which nomination is not received)

Entry of receipt of nomination(s) has been made in page ....Volume.................... of Service Book.

Name, Signature and Designation of Head of Office/authorised Gazetted Officer with seal Date of receipt.......................................

The receiving Officer will fill the above information and return a duly signed copy of the complete Form to the Government servant who should keep it in safe custody so that it may come into the possession of the beneficiaries in the event of his/her death.

The receiving officer shall put his/her dated signature on both pages of this Form.

सं. 1/7/2020-पी&पीडबल्यू (एफ़)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरा तल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
दिनांक सितंबर 30, 2021

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय:केंद्रीय सरकार के ऐसे सरकारी कर्मचारी,जिनकी सदाशयपूर्वक अपने सरकारी कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए मृत्यु हुई हो,के कुटुंब को एकमुश्त अनुग्रह क्षतिपूर्ति की रकम के संदाय के लिए नामनिर्देशन के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे केंद्रीय सिविल सरकारी कर्मचारी, जिनकी विभिन्न परिस्थितियों में सदाशयपूर्वक अपने सरकारी कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए मृत्यु हो जाती है, के परिवार,इस विभाग के दिनांक 11 सितंबर, 1998 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 45/55/97-पी&पीडबल्यू(सी) के अनुसार अनुग्रह एकमुश्त क्षतिपूर्ति की रकम के संदाय के हकदार हैं। एकमुश्त अनुग्रह क्षतिपूर्ति की रकम में समय-समय पर संशोधन किया गया है। एकमुश्त अनुग्रह संदाय की मौजूदा दरें इस विभाग के दिनांक 04.08.2016 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 38/37/2016- पी&पीडबल्यू(ए) में विनिर्दिष्ट हैं।

2. तथापि, मौजूदा निर्देश, कुटुंब के उस सदस्य को विनिर्दिष्ट नहीं करते हैं, जिसे सरकारी कर्मचारी द्वारा सदाशयपूर्वक अपने सरकारी कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए मृत्यु होने की स्थिति में,ऐसा अनुग्रह एकमुश्त मुआवजा संदेय है। इसलिए, दिनांक 11 सितंबर 1998 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 45/55/97-पी&पीडबल्यू(सी) के अनुबंध में उल्लिखित मार्गदर्शक सिद्धांतों के पैरा 13 के संदर्भ में,एकमुश्त अनुग्रह क्षतिपूर्ति का संदाय वर्तमान में कुटुंब के उस सदस्य को किया जा रहा है जो केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियमावली, 1939 के अधीन असाधारण कुटुंब पेंशन के लिए पात्र है।

3. वित्त मंत्रालय(व्यय विभाग) से परामर्श करके इस मामले की जांच की गई है। किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर,अन्य एकमुश्त रकम जैसे मृत्यु उपदान, जीपीएफ शेष और सीजीईजीआईएस रकम का संदाय,सरकारी कर्मचारी द्वारा सेवा के दौरान किए गए नामनिर्देशन के अनुसार किया जाता है। तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि, किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा सदाशयपूर्वक अपने सरकारी कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए मृत्यु होने की स्थिति में, एकमुश्त अनुग्रह क्षतिपूर्ति का संदाय भी, कुटुंब के उस सदस्य या सदस्यों को किया जा सकता है जिनके पक्ष में सरकारी कर्मचारी द्वारा सेवा के दौरान नामनिर्देशन किया गया है। इस प्रयोजन के लिए कुटुंब का वही अर्थ होगा जैसा उपदान के मामले में है और इसमें कुटुंब के वही सदस्य शामिल होंगे जैसा कि केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 50 के उप-नियम (6) में वर्णित है।

4. केन्द्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 के साथ संलग्न प्ररूप 1 में दिए गए सामान्य नामनिर्देशन प्ररूप में,एकमुश्त अनुग्रह के संदाय के लिए, नामनिर्देशन को सम्मिलित करने हेतु संशोधन किया गया है और इसे संलग्न किया गया है। तदनुसार, इस सामान्य नामनिर्देशनप्ररूप में,एकमुश्त अनुग्रह रकम के संदाय के लिए भी नामनिर्देशन किया जाएगा। एकमुश्त अनुग्रह रकम के संदाय के लिए नामनिर्देशन,केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 53 के तहत उपदान के मामले में लागू उपबंधों के अधीन होगा। चूंकि एकमुश्त अनुग्रह रकम का संदाय केवल कुटुंब को देय है, ऐसे व्यक्ति के पक्ष में नामनिर्देशन नहीं किया जा सकेगा जो कुटुंब का सदस्य नहीं है, यहां तक कि जहां किसी

सरकारी कर्मचारी का कोई कुटुंब नहीं है, वहां भी ऐसा नामनिर्देशन नहीं किया जा सकेगा। यदि कोई नामनिर्देशन नहीं किया गया है या सरकारी कर्मचारी द्वारा किया गया नामनिर्देशन अस्तित्व में नहीं है, तो एकमुश्त अनुग्रह क्षतिपूर्ति कुटुंब के सभी पात्र सदस्यों द्वारा बराबर अंशों में बांटा जाएगा,जैसा कि उपदान के मामले में,केन्द्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली के नियम 51 अनुसार होता है।

5. ये अनुदेश इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से या उसके बाद किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने के मामले में लागू होंगे। इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से पूर्व के, सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु होने पर एकमुश्त अनुग्रह क्षतिपूर्ति के संदाय के मामलों का निपटान,इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने से पूर्व, लागू निर्देशों के अनुसार करना जारी रहेगा।

6. इस कार्यालयज्ञापन को वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग की सहमति से, उनके दिनांक 22.07.2021 के आईडी नोट संख्या 27(1)/ईवी/2020 के द्वारा जारी किया जाता है।

7. भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के कर्मचारियों पर लागू, भारत के संविधान के अनुच्छेद 148(5) के अधीन यथाअधिदेशित,ये आदेश भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के साथ परामर्श करने के पश्चात, उनके दिनांक 13.09.2021 के यू.ओ. सं 211-स्टाफ-हक(नियम)-ए.आर/09-2019 के द्वारा जारी किए जाते हैं ।

8. सभी मंत्रालयों/विभागों और संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के प्रशासनिक प्रभागों से अनुरोध है कि इन निर्देशों की विषय-वस्तु को अनुपालनार्थ सभी संबंधितों के संज्ञान में लाएं।

9. केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 में,नियमों के साथ संलग्न प्ररूप 1 में संशोधन करने के लिए औपचारिक संशोधनपृथक रूप से अधिसूचित किया जाएगा।

(संजय शंकर)
उप सचिव, भारत सरकार

प्रति:-

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. राष्ट्रपति सचिवालय
3. उप राष्ट्रपति सचिवालय
4. प्रधान मंत्री कार्यालय
5. भारत का नियंत्रक और महालेखापरीक्षक
6. मंत्रिमंडल सचिवालय
7. संघ लोक सेवा आयोग
8. एनआईसी को वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु

प्ररूप 1

उपदान, सामान्य भविष्य निधि,केंद्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा स्कीम और अनुग्रह एकमुश्त मुआवज़ा के लिए सामान्य नामनिर्देशन प्ररूप

[केन्द्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 का नियम 53, सामान्य भविष्य निधि(केन्द्रीय सेवा) नियमावली,1960 का नियम 5,केंद्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा स्कीम, 1980 के पैरा 19.7 और दिनांक 04.08.2016 के का.ज्ञा.सं. 38/37/2016-पी&पीडबल्यू (ए) देखिये]

मैं, ..., नीचे वर्णित व्यक्ति/व्यक्तियों को, एतदद्वारा नामनिर्देशित करता हूँ और मेरी मृत्यु होने की दशा में उसे/उन्हें नीचे विनिर्दिष्ट सीमा तक निम्नलिखित आधार पर रकम प्राप्त करने का अधिकार प्रदत्त करता हूँ:

i. कोई उपदान जिसका संदाय केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली के नियम 50के अधीन प्राधिकृत किया जाए,
ii. वह रकम जो सामान्य भविष्य निधि में मेरे खाते में जमा हो,
iii. कोई रकम जो केंद्रीय सरकार द्वारा केंद्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा स्कीम, 1980 के अधीन संस्वीकृत की जाए।
iv. समय-समय पर यथासंशोधित, अनुग्रह एकमुश्त मुआवजा जिसे, दिनांक 11 सितंबर,1998 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 45/55/97-पी&पीडबल्यू(सी) के तहत प्राधिकृत किया जाए,

नामनिर्देशिती का नाम, जन्मतिथि और पता	कर्मचारी/ पेंशनभोगी से नातेदारी	प्रत्येक को संदत्त किया जाने वाला अंश	यदि नामनिर्देशिती अवयस्क है,तो उस व्यक्ति का नाम, जन्मतिथि और पता, जो अवयस्क के निमित्त रकम प्राप्त कर सकेगा	स्तंभ(1) के अधीन नामनिर्देशिती की कर्मचारी से पूर्व मृत्यु होने की दशा में, आनुकल्पिक नामनिर्देशिती का नाम, जन्मतिथि, नातेदारी और पता	प्रत्येक को संदत्त किया जाने वाला अंश	उस व्यक्ति का नाम, जन्मतिथि और पता, जो स्तंभ (5) में आनुकल्पिक नामनिर्देशिती के अवयस्क होने की दशा में रकम प्राप्त कर सकेगा	वह आकस्मिकता जिसके घटित होने पर नामनिर्देशन अविधिमान्य हो जाएगा
1	2	3	4	5	6	7	8

ये नामनिर्देशन पूर्व में मेरे द्वारा किए गए किन्हीं नामनिर्देशनों को अधिक्रांत करेंगे।

स्थान और तारीख:

सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर

मोबाइल न.......................................

टिप्पण 1 : उन फ़ायदों को पूरी तरह काट दें जिसके लिए नामनिर्देशन आशयित नहीं है। उपर्युक्त फायदों(i), (ii), (iii) और (iv) के लिए विभिन्न व्यक्तियों को नामनिर्देशित किए जाने के लिए इस नामनिर्देशन प्ररूप की पृथक प्रतियों का उपयोग किया जाए।

टिप्पण 2 : सरकारी कर्मचारी अंतिम प्रविष्टि के नीचे खाली स्थान पर तिरछी रेखाएं खींचेगा ताकि उसके हस्ताक्षर करने के पश्चात किसी नाम को अंतःस्थापित न किया जा सके।नामनिर्देशिती(यों)/आनुकल्पिक नामनिर्देशिती(यों) को संदेय अंशों में उपदान की पूरी रकम आ जानी चाहिए।

(कार्यालयाध्यक्ष/प्राधिकृत राजपत्रित अधिकारी द्वारा भरा जाए)
निम्नलिखित नियमों/अनुदेशों के अधीन, तारीख................................ को नामनिर्देशन प्राप्त किए: -

1. उपदान के लिए केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली नियमावली, 1972
2. सामान्य भविष्य निधि(केंद्र सेवा) नियमावली, 1960
3. केंद्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा स्कीम, 1980
4. दिनांक 11 सितंबर,1998 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 45/55/97-पी&पीडबल्यू(सी)

श्री/श्रीमती/कुमारी द्वारा किया गया ....

पदनाम...

कार्यालय...

(अप्राप्त नामनिर्देशन को काट दें)

नामनिर्देशन(नामनिर्देशनों) की प्राप्ति की प्रविष्टि सेवा पुस्तिका के पृष्ठ...........खंड......... में कर ली गई है।

कार्यालयाध्यक्ष/प्राधिकृत राजपत्रित अधिकारी का नाम, हस्ताक्षर और पदनाम, मुहर सहितप्राप्ति की तारीख ....

प्राप्त करने वाला अधिकारी उपरोक्त जानकारी को भरेगा और सम्यक रूप से भरे प्ररूप की हस्ताक्षरित प्रति सरकारी कर्मचारी को लौटाएगा जो उसे सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा ताकि वह उसकी मृत्यु होने की दशा में उसके हिताधिकारियों को प्राप्त हो सके।

प्राप्त करने वाला अधिकारी इस प्ररूप के दोनों पृष्ठों पर अपने तारीख सहित हस्ताक्षर करेगा।